

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सु. नं. 02/2022
उनवान- विज्जाय बनाम रामबिलाशी देवी वगैरे

नम्बर न तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

21-3-22

आज पीठासीन अधिकारियों महोदय अवकाश पर
अन्य कान में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 8-4-22 को पेश हो

रवि. ली. लि

8-4-22

आज पीठासीन अधिकारियों महोदय अवकाश पर,
अन्य कान में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालन
में पत्रावली नियत दिनांक 6-5-22 को पेश हो

446-448

2-3-2022

6-5-22

अधिकारिता प्राची उपस्थिता अधिकारिता अजाची कं
2, 8, 10, 11, 12, 13 उपस्थिता अधिकारिता अजाची कं
14 उपस्थिता राजकीय अधिकारिता उपस्थिता द्वारा
नियेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन
अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोमरा उपजठ अधिकारी
सिकराम का स्थानांतरण हो चुका है इसलिए प्राचीन
पत्र को आगे चलाये जाने का कौचिल्य नहीं है, प्रकीर्ण
पत्र स्थानांतरण खारेज कर दिया जाये। अधिकारिता
प्राची एवं अधिकारिता अजाची कं 2, 8, 10, 11, 12, 13 एवं
अधिकारिता अजाची कं 14 द्वारा राजकीय अधिकारिता
के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया।

पत्रावली को अन्वयेक्य किया एवं राजकीय
अधिकारिता के कथन पर मयन किया गया। प्रकरण
में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोमरा
उपजठ अधिकारी सिकराम का स्थानांतरण हो जाने
से प्राचीन पत्र स्थानांतरण का आगे चलाने का
कोई कौचिल्य नहीं है इसलिए प्रमाण उपजठ
अधिकारी सिकराम में विचारणीय वाद के 298/2021
एवं प्राचीन पत्र नं. 154/2021 उनवानी विज्जाय बनाम
रामबिलाशी के अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरित
करने हेतु प्राची विज्जाय पुत्र की मिशनलाल मीना त्रिपाठी
श्रीना सीपला कृष्णील सिकराम द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र
स्थानांतरण खारेज किया जा रहा है निवेदन की पूर्ण दृष्टीसक
न्यायालय उपजठ अधिकारी सिकराम का भिजवा दिया है।
पत्रावली फौज सुमार की जाकर नंबर से कम है एक वाद प्रमाण
पुणेठले वगैरे की जाये निवेदन आज डिके 06-5-2022 को
अरे द्वारा मुल न्यायालय में सुनाया गया।

(आज) मीना

